

# टेस्टिंग करने से आप पब्लिक चार्ज नहीं बनेंगे

855-48 पर पाठ 'COVID TEST' या पर जाएँ

[www.nyc.gov/covidtest](http://www.nyc.gov/covidtest)



U.S. Citizenship  
and Immigration  
Services

सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपसे आपकी इमीग्रेशन स्टेटस के बारे में कोई सवाल नहीं पुछा जाएगा

USCIS ने घोषणा की है कि कोविड - 19 के टेस्टिंग, रोकथाम और इलाज कराने से, भविष्य में ग्रीन कार्ड और सिटिझेनशिप अथवा नागरीकता प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

इमीग्रेशन स्टेटस की चिंता किए बगैर आप कोविड -19 टेस्टिंग स्पॉल, मुफ्त अस्पताल, कम्युनिटी हेल्पकेंट्र, इमर्जन्सी रूम और सरकारी अस्पताल में मुफ्त और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकते हैं।

## अपना ध्यान रखें!



मेडिकल इन्शुरन्स ना होने पर भी आप डॉक्टर को देख सकते हैं।

मुफ्त और किफायती हेल्प इन्शुरन्स NY State of Health से मिल सकती है। कॉल कीजिए 855-355-5777.

किसी कारणवश आप हेल्प इन्शुरन्स के योग्य नहीं होते हैं, अथवा हेल्प इन्शुरन्स आपके लिए मेहंगा हैंतो ह 646-692-2273 अथवा 311 पर कॉल करें और NYC Care में भाग लें।



अगर आपके पास डॉक्टर नहीं हैं तो, NYC Health + Hospitals के स्वस्थ सेवा का उपयोग करें। कॉल करें 844-NYC-4NYC (844-692-4692) अथवा 311.

अगर आप हेल्प इन्शुरन्स के लिए अर्जी नहीं कर रहे हैं तो फिर, अपने बारे में या आपने इमीग्रेशन स्टेटस के बारे में कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है।

कोविड -19 और पब्लिक चार्ज के बारे में चिंतित हैं, तो हमसे बात करें। हम आपकी भाषा बोलते हैं और आपको टेस्टिंग साइट से जोड़ सकते हैं।